रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936
No. 694] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

**सा.का.नि. 918(अ).**—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) धारा 44 और धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के परंतुक में "31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप सं. 2

**पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण**

**(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)**

| क्रम सं0 | विवरण | टिप्पणियां, यदि कोई हों |
|---|---|---|
| (i)* | नकदी और बैंक में अतिशेष : | |
| (ii)** | बीमा (संदत्त प्रीमियम) : | |
| | नियत/आवर्ती जमा : | |
| | शेयर/बॉंड : | |
| | पारस्परिक निधि (निधियां) : | |
| | पेंशन स्कीम/भविष्य निधि | |
| | अन्य विनिधान, यदि कोई हों : | |
| (iii) | किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम *(यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक)* : | |
| (iv) | मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) : | |
| (v) | आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)] | |
| | सोना : | |
| | चांदी : | |
| | बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न : | |
| | मिश्रित मदें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)*** | |
| (vi) | कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें]<br>(क) फर्नीचर<br>(ख) फिक्सचर<br>(ग) प्राचीन वस्तुएं<br>(घ) रंगचित्र (पेंटिंग)<br>(ड) इलैक्ट्रानिक उपस्कर<br>(च) अन्य<br>(किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो) | |

तारीख..... हस्ताक्षर.....

*विदेशी बैंक (बैंकों) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

(ख) प्ररूप सं. IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

| क्रम सं0 | ऋणी (स्वंय/ पति या पत्नी या आश्रित बालक) | लेनदार का नाम और पता | ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

तारीख..... हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों) को सम्मिलित करना होगा।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 8 सितंबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2014.

**G.S.R. 918(E).**—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59, section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:–*

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in the proviso to sub-rule (2), for the words "on or before the 31st day of December, 2014", the words "on or before the 30th day of April, 2015" shall be substituted.

IndiaCode

3. In the principal rules, in Appendix II, —

(a) for Form No. II, the following Form shall be substituted, namely:—

**"FORM No. II**

**Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...**

(Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

Name of public servant/spouse/dependent child:_____

| S.No | Description | Remarks, if any |
|---|---|---|
| (i) * | Cash and bank balance: | |
| (ii)** | Insurance (premia paid) : | |
| | Fixed /Recurring Deposit(s) | |
| | Shares/Bonds : | |
| | Mutual Fund(s) : | |
| | Pension Scheme/Provident Fund | |
| | Other investments, if any : | |
| (iii) | Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be): | |
| (iv) | Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid): | |
| (v) | Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus *100 gms. in respect of silver*).] | |
| | Gold: | |
| | Silver: | |
| | Precious metals and precious stones: | |
| | Composite items: (indicate approximate value)*** | |
| (vi) | Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above]<br>(a) Furniture<br>(b) Fixtures<br>(c) Antiques<br>(d) Paintings<br>(e) Electronic equipments<br>(f) Others<br>[Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.] | |

Date .....  Signature.....

* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs. 2 lakhs may be reported together.

*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

IndiaCode

(a) for Form No. IV, the following Form shall be substituted, namely:—

**"FORM No. IV**

**Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20.....**

| Sl. No. | Debtor (Self/ Spouse or dependent children) | Name and address of Creditor | Nature of debt/liability and amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Date .....

Signature.....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.".

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 and amended vide notification No. G.S.R. 638(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 8th September, 2014.

S118 GI/14-2.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode